इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 मार्च 2021—फाल्गुन 12, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2021

क्र. एफ-बी-7(ए)-21-2021-2-पांच(01).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ, तृतीय-श्रेणी (लिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"**(4) परिवीक्षा.—**

(एक) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रथमत: तीन वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(दो) परिवीक्षा अवधि के दौरान, उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%. द्वितीय वर्ष में 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% वृत्तिका के रूप में देय होगा. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर वेतन, वेतनमान के अनुसार नियमित किया जाएगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2021

क्र. एफ-बी-7(ए)-21-2021-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-7(ए)-21-2021-2-पांच(01), दिनांक 3 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd March 2021

No. F B-7-(A)-21-2021-2-V(01).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Excise Sub-ordinate Class-III (Ministerial) Service Recruitment Rules, 1983, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Rule 12, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(4) **Probation.—**

(i) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of three years in the first instance.

(ii) During the probation period, 70% in first year, 80% in second year and 90% in the third year of the minimum of the pay scale of that post shall be payable as a stipend. On successful completion of the probation period, salary shall be regularized as per pay scale.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.